संख्या-38/2018/क0नि0-4-995/11-2018-300(16)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर ,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 29 अगस्त, 2018**

विषयः- वाणिज्य कर कार्यालय भवन, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ में विद्युत पैनल बोर्ड, डी0बी0 वायरिंग एवं केबिल आदि का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-981-लखनऊ कार्यालय भवन अनुरक्षण/2018-19/462/वाणिज्य कर, दिनांक 16.08.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रु0-10.00 करोड़ में से वाणिज्य कर कार्यालय भवन, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ में विद्युत पैनल बोर्ड, डी0बी0 वायरिंग एवं केबिल आदि का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने हेतु धनराशि रू0-328.27 लाख (रूपया तीन करोड़ अट्ठाईस लाख सत्ताईस हजार मात्र) का भुगतान कार्यदायी संस्था अस्थाई विद्युत निर्माण इकाई (विद्युत/यांत्रिक), लोक निर्माण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ को किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव

संख्या-38/2018/क0नि0-4-995(i)/11-2018, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहबाद।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहन भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त नियंत्रक/ज्वाइंट कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5- कार्य अधीक्षक, अस्थाई विद्युत निर्माण इकाई (विद्युत/यांत्रिक), लोक निर्माण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।